

CITY FACT AND FACILITIES BY GOVERNMENT

Mohammad Asif मो. नं. +91-9413609001

Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

PUBLIC WEB SERVICE**CONTECT DIRECTORY****NEWS & FACT****BENEFIT OF GOVT.****सुखद जीवन योजना -**

1.	पात्रता	1. निःशक्त वर्ग की आयु 21 वर्ष व वधु की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 2. प्रार्थी के पास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 3. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये। 4. विकलांग आवेदक/माता-पिता/संरक्षक की समस्त स्रोतों से आय रु. 50000/- वार्षिक से अधिक ना हो। 5. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
2.	आवेदन कहाँ किया जायें	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पाली को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन विवाह से 15 दिन पूर्व अथवा विवाह के 6 माह तक किये जाने का प्रावधान है।
3.	देय लाभ	योजना अन्तर्गत प्रति दम्पति राशि रु. 25000 /- की अनुदान सहायता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। दम्पति के दोनों के निःशक्त होने पर भी अनुदान राशि अधिकतम 25000/- ही देय होगी।
4.	आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज	वधु/वर का आयु का प्रमाण पत्र, राशनकार्ड की छायाप्रति, विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।